सन् 1950 का उत्तर प्रदेशीय कोर्ट फीस छूट (रेमीशन) अधिनियम

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, 1950)

UTTAR PRADESH COURT FEES (REMISSION) ACT, 1950

(U.P. Act No. IX of 1950)

सन् 1950[1] ई0 का उत्तर प्रदेशीय कोर्ट फीस [छूट (रेमीशन)] अधिनियम

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, 1950 ई0]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 9 मार्च, 1950 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने दिनांक 13 मार्च, 1950 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 16 मार्च, 1950 ई0 को स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 16 मार्च, 1950 ई0 को प्रकाशित हुआ।]

लेख्यों (डाक्यूमेन्टस) के किसी वर्ग पर देय कोर्ट फीस की छूट देने के अधिकार की व्यवस्था के लिए

अधिनियम

भूमिका

क्योंकि संयुक्त प्रान्तीय कोर्ट फीस [छूट (रेमीशन)] आर्डिनेन्स, 1949 ई0 द्वारा उत्तर प्रदेश में लेख्यों (डाक्यूमेन्टस) के किसी वर्ग पर देय कोर्ट फीस को छूट देने के अधिकारों की व्यवस्था की गई थी,

और क्योंकि उक्त आर्डिनेन्स की अवधि सीमित होने के कारण वह उत्तर प्रदेशीय विधान मण्डल के पुनराधिवेशन की तारीख से छः सप्ताह के बाद समाप्त हो जायगा, इसलिए निम्नलिखित अधिनियम (एक्ट) बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) इस अधिनियम का नाम 1950 ई0 का उत्तर प्रदेशीय कोर्ट फीस [छूट (रेमीशन)] अधिनियम (एक्ट) होगा।

(2) यह सारे उत्तर प्रदेश में लागू होगा।

(3) यह तुरन्त लागू होगा।

छूट देने का अधिकार

2–किसी विधि (ला) में चाहे कुछ भी हो, राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा लेख्यों (डाक्यूमेन्ट्स) के किसी वर्ग पर देय कोर्ट फीस की पूर्ण या आंशिक रूप में छूट दे सकती है।

रद्द करना

3–संयुक्त प्रान्तीय कोर्ट फीस [छूट (रेमीशन)] आर्डिनेन्स, 1949 ई0, इसके द्वारा रद्द किया जाता है और यूनाइटेड प्राविन्सेज (जनरल क्लाजेज) ऐक्ट, 1904 ई0 की धारा 6 व 24 के आदेश इस प्रकार लागू होंगे मानो वह एक ऐसा ऐक्ट था, जिसे किसी यूनाइटेड प्राविन्सेज एक्ट द्वारा रद्द किया गया है।

---

1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिए दिनांक 25 फरवरी, 1950 ई0 का सरकारी असाधारण गजट देखिए।